

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी 2018—माघ 7, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-23-2017-1-पांच(19).—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करती है, अर्थात्: —

संशोधन

नियम 7 में, तालिका के कालम सं. (3) में,

- (क) क्र. सं. 1 में, शब्द “एक प्रतिशत्” के स्थान पर शब्द “आधा प्रतिशत्” प्रतिस्थापित किया जाए.
 - (ख) क्र. सं. 3 में, शब्द “आधा प्रतिशत्” के स्थान पर शब्द “मालों की कराधेय प्रदाय के आवर्त का आधा प्रतिशत्” प्रतिस्थापित किया जाए.
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-23-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-23-2018-1-पांच(19), दिनांक 27 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2018

No. F-A-3-23-2017-1-V-(19).—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, hereby further amends the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

AMENDMENT

In rule 7, in the table, in column no.(3),

(i) in Sl. No. 1, for the words “one percent”, the words “half percent” shall be substituted.

(ii) in Sl. No. 3, for the words “half percent”, the words “half percent of the turnover of taxable supply of goods” shall be substituted.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.